



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2014/UGC-MHRD/10/2018/207

दिनांक : 01. 10. 2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के आलोक में संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (आईएआईपी)/ Institutional Academic Integrity Panel (IAIP) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

विश्वविद्यालय का सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ शिक्षाविद्।	:	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।	:	प्रो. फरहद मलिक	:	सदस्य
विश्वविद्यालय से इतर किसी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य।	:	प्रो. गरिमा श्रीवास्तव भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू. नई दिल्ली।	:	सदस्य
साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।	:	श्री डी.बी.सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	:	सदस्य

अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 4 में से 3 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) द्वारा होगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रति : संबंधित सभी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. डीन, अकादमिक।
5. डीन, शोध।
6. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी।
7. परीक्षा विभाग।
8. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष।
10. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)।
11. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. कार्यालय प्रति।